पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1106
दिनांक-03.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा वादिनी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले 01 आरोपी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 23.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना गोमतीनगर पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गोमतीनगर पर **मु0अ0सं0 196/2026** धारा **64(2)/123 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह को सुपुर्द की गई।

विवेचना के क्रम में दिनांक **03.07.2026** को थाना गोमतीनगर पुलिस टीम के वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं उपनिरीक्षक श्री त्रिविक्रम सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **अभिषेक कुमार उर्फ कुमार अभिषेक पुत्र बजरंगी लाल श्रीवास्तव**, निवासी **02/83, विपुल खण्ड, थाना गोमतीनगर, लखनऊ**, मूल निवासी **आरा मशीन के पास, बहादुरपुर, थाना बासडीह रोड, जनपद बलिया**, उम्र लगभग **46 वर्ष**, को **होटल ट्री व्यू रेजीडेंसी, कानपुर रोड, सेक्टर-एल, आशियाना, लखनऊ** से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

02-मु0अ0सं0 196/26 धारा 64(2)/123 बीएनएस थाना गोमतीनगर, लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता-

01-अभिषेक कुमार उर्फ कुमार अभिषेक पुत्र बजरंगी लाल श्रीवास्तव निवासी म0नं02/83 विपुलखंड थाना गोमतीनगर लखनऊ मूल निवास – आरा मशीन के पास, बहादुरपुर बलिया थाना बासडीह रोड जनपद बलिया उम्र करीब 46 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गोमतीनगर लखनऊ

1- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह
2- उ0नि0 श्री त्रिविक्रम सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1107

दिनांक- 03.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

- **वाहन से टक्कर मारने के बाद घायल पुजारी को उपचार के बहाने ले जाकर सुनसान स्थान पर छोड़ने के मामले का एक और अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **घायल को समय पर उपचार न मिलने से हुई थी मृत्यु, विवेचना में प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर हुई कार्यवाही।**
- **पूर्व में 03 अभियुक्त भेजे जा चुके हैं जेल, 01 बाल अपचारी को लिया गया था संरक्षण में।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक **22.06.2026** को वादी **धृष्टद्युम्न शरण मिश्र**, प्रधान पुजारी, सिद्धकामेश्वर मंदिर, विरामखण्ड-2, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा थाना गोमतीनगर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि मंदिर में सहयोगी पुजारी के रूप में सेवा कार्य करने वाले **देवकुमार दुबे** पुत्र बैजनाथ दुबे निवासी ग्राम चन्दौका, थाना भीटी, जनपद अम्बेडकर नगर को एक वाहन संख्या **UP-51-BP-7011** द्वारा टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोप है कि वाहन में सवार व्यक्तियों द्वारा उपचार कराने का आश्वासन देकर घायल को अपने साथ ले जाया गया तथा अन्य मोबाइल नंबरों से भ्रामक सूचना देकर वादी को गुमराह किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गोमतीनगर पर **मु0अ0सं0 250/2026** धारा **281/125(बी)/240 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपनिरीक्षक **श्री राजन केसरी** को सुपुर्द की गई।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा **3(5)/105/238 बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

इसी क्रम में दिनांक **02.07.2026** की रात्रि में थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **विवेकखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ** क्षेत्र से अभियुक्त **विकास यादव** पुत्र संतोष कुमार यादव निवासी **2/728, विवेकखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ**, उम्र लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक **22.06.2026** को **03 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है तथा **01 बाल अपचारी** को विधिक प्रावधानों के अनुसार संरक्षण पुलिस में लिया गया था।

विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विरामखण्ड-1 स्थित देवा पैलेस के पास अभियुक्तगण द्वारा अपनी **थार वाहन** को लापरवाहीपूर्वक बैक करते समय देवकुमार दुबे को टक्कर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

इसके उपरांत अभियुक्तगण एवं बाल अपचारी द्वारा उपचार के बहाने घायल को वाहन में बैठाकर इन्द्रानगर सेक्टर-19 क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया गया। समय पर समुचित उपचार न मिल पाने के कारण घायल देवकुमार दुबे की मृत्यु हो गई।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 250/2026 धारा- 281/125बी/240 बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3(5)/105/238 बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विकास यादव पुत्र संतोष कुमार यादव निवासी-2/728 विवेकखण्ड गोमतीनगर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गोमतीनगर लखनऊ

1- प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी

2- उ0नि0 श्री राजन केसरी

3- उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1108

दिनांक-03.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-कैसरबाग

- **कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से वांछित 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण:-

पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशन में अपराधियों एवं न्यायालय से वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी), अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी), सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग तथा प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग के नेतृत्व में थाना कैसरबाग पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) का सफलतापूर्वक अनुपालन करते हुए 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा वाद सं0 **77304/209**, अपराध सं0 **263/17** में माननीय न्यायालय **ए.सी.जे.एम. अष्टम, लखनऊ** द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में अभियुक्त **संजय गुप्ता पुत्र बनवारी लाल गुप्ता** निवासी **486/24, बब्लू वाली गली, डालीगंज, थाना हसनगंज, लखनऊ** को दिनांक **02.07.2026** को समय **20:45 बजे डालीगंज रेलवे स्टेशन परिसर, लखनऊ** से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-संजय गुप्ता पुत्र बनवारी लाल गुप्ता, निवासी 486/24, बब्लू वाली गली, डालीगंज, थाना हसनगंज, लखनऊ, उम्र लगभग 54 वर्ष।

03-गिरफ्तारी का स्थान

- **स्थान :** डालीगंज रेलवे स्टेशन परिसर, लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 मोहित कुमार
2. का0 अनीश वर्मा